



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 08 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 फरवरी 2015-फाल्गुन 1, शके 1936

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

#### अन्य सूचनाएं

#### नाम परिवर्तन

पहले मेरा नाम ANEETA BHAMBAL था किन्तु अब मैंने अपना नाम परिवर्तन कर ANNETTE MILTON BHAMBAL कर लिया है. अतः आगे से मुझे इसी नाम से जाना व पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

( अनीता भम्बल )

( ANEETA BHAMBAL )

(615-बी.)

नया नाम :

( एनेट मिल्टन भम्बल )

( ANNETTE MILTON BHAMBAL )

म. नं. एच.आई.जी.-443,

सेक्टर ई-7, अरेरा कॉलोनी,

भोपाल ( म. प्र. ).

#### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, पिकी ठाकुर पुत्री श्री सूरतसिंह ठाकुर, निवासी सी-561, सुखलिया, इन्दौर का विवाह 14 फरवरी, 2005 को श्री सुमतिलाल जैन पुत्र स्व. श्री सीरिमल जैन के साथ सम्पन्न हुआ है. विवाह के उपरांत मेरे द्वारा नाम परिवर्तन कर पिकी के स्थान पर सुहानी जैन कर लिया गया है. अतः भविष्य में मुझे सुहानी जैन पति श्री सुमतिलाल जैन के नाम से ही जाना जावे. अतः शादी दिनांक से मेरी शिक्षा सर्टिफिकेट व मार्कशीट में मेरा नाम सुहानी जैन ही जाना जावे. यह सादर सूचना लोगों की जानकारी हेतु प्रकाशित करा रही हूँ.

पुराना नाम :

( पिकी ठाकुर )

(616-बी.)

नया नाम :

( सुहानी जैन )

पति सुमतिलाल जैन.

#### उप-नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री प्राची सिंघई की केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंकसूची में पिता एवं माता का नाम गलत लिख गया है. सुधार हेतु सूचना.

पुराना नाम :

( अरूण सिंघई—पिता )

( अर्चना सिंघई—माता )

(617-बी.)

नया नाम :

( अरूण कुमार जैन—पिता )

( अर्चना जैन—माता )

पता—365, अग्रवाल कॉलोनी,

कमला नेहरू नगर, जबलपुर ( म. प्र. ).

**CHANGE OF NAME**

I, S. P. Singh hereby declare that I have change my name as Shivprasad Singh. So, from now and in future I will be known by my new name.

Old Name :

( S. P. SINGH )

(620-B.)

New Name :

(SHIVPRASAD SINGH)

S/o Owadhbihari Singh,  
B-295, Veena Nagar, Indore (M. P.).

**CHANGE OF NAME**

I, MADHU SINGH hereby declare that I have change my name as Madhubala Singh. So, from now and in future I will be known by my new name.

Old Name :

( MADHU SINGH )

(621-B.)

New Name :

(MADHUBALA SINGH)

W/o Shivprasad Singh,  
Add.—B-295, Veena Nagar, Indore (M. P.).

**जाहिर सूचना**

यह है कि भागीदारी फर्म मै. के. एस. इण्टरप्राइजेज पता—इण्डस्ट्रियल एरिया, मुँरैना (म. प्र.) जिसका रजिस्ट्रेशन नं. 1202, दिनांक 20-02-1992 जिसमें भागीदार ओमप्रकाश आशीष कुमार एच. यू. एफ. कर्ता श्री ओमप्रकाश गर्ग पुत्र श्री तोताराम गर्ग, निवासी मुँरैना एवं श्री मोहनलाल गर्ग पुत्र श्री तोताराम गर्ग, निवासी धर्मशाला ऑयल, मुँरैना एवं श्री गोविन्द प्रसाद गिर्राज किशोर प्रसाद एच. यू. एफ. कर्ता गोविन्द प्रसाद गर्ग पुत्र श्री तोताराम गर्ग, निवासी धर्मशाला ऑली, मुँरैना एवं गोपालदास सचिन कुमार एच. यू. एफ. कर्ता श्री गोविन्द प्रसाद गर्ग पुत्र श्री तोताराम गर्ग, निवासी धर्मशाला ऑली, मुँरैना एवं रमेशचन्द्र गर्ग एच. यू. एफ. कर्ता श्री रमेशचन्द्र गर्ग पुत्र श्री तोताराम गर्ग, निवासी धर्मशाला ऑली मुँरैना एवं किशोर कुमार गर्ग पुत्र श्री राधेलाल, निवासी लोहिया बाजार, मुँरैना एवं श्याम कुमार गर्ग पुत्र श्री तोताराम गर्ग, निवासी धर्मशाला ऑयल, मुँरैना थे. दिनांक 01-04-2001 को गोपालदास सचिन कुमार एच. यू. एफ. एवं श्याम कुमार गर्ग एवं किशोर कुमार सेवानिवृत्त हो गये. दिनांक 14-08-2002 को ओमप्रकाश आशीष एच. यू. एफ. एवं मोहनलाल गर्ग एच. यू. एफ. सेवानिवृत्त हो गये. दिनांक 14-06-2006 को सौरभ कुमार गर्ग एच. यू. एफ. कर्ता श्री सौरभ पुत्र श्री रमेशचन्द्र गर्ग, निवासी जीवाजीगंज, मुँरैना एडमिट हुये एवं गोविन्द प्रसाद गिर्राज किशोर एच. यू. एफ. सेवानिवृत्त हो गये. दिनांक 11-04-2011 को श्री रमेशचंद्र गर्ग पुत्र स्व. श्री तोताराम गर्ग, निवासी जीवाजीगंज, मुँरैना एडमिट हुये. दिनांक 14-10-2011 को सौरभ कुमार गर्ग एच. यू. एफ. सेवानिवृत्त हो गये. अतः वर्तमान भागीदार फर्म मै. के. एस. इण्टरप्राइजेज के भागीदारी श्री रमेशचन्द्र गर्ग पुत्र स्व. श्री तोताराम गर्ग, निवासी जीवाजीगंज मुँरैना एवं रमेश चंद्र सौरभ कुमार एच. यू. एफ. कर्ता श्री रमेशचन्द्र गर्ग पुत्र स्व. श्री तोताराम गर्ग, निवासी जीवाजीगंज, मुँरैना हैं. अतः किसी भी भागीदार व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह भागीदारी फर्म के रजिस्टर्ड पते पर अपनी आपत्ति दस दिन के अंदर लिखित या मौखिक दर्ज करायें.

(612-बी.)

के. एस. इण्टरप्राइजेज  
रमेशचंद्र गर्ग.

**जाहिर सूचना**

यह है कि भागीदारी फर्म मै. के. एस. फूड प्रोडक्स, पता—इण्डस्ट्रियल एरिया, ए. बी. रोड, मुँरैना (म. प्र.) है जिसका रजिस्ट्रेशन नं. 1154, दिनांक 21-03-1991 जिसमें भागीदार ओमप्रकाश पुत्र स्व. श्री तोताराम जी, निवासी मुँरैना, श्रीमती कपूरी देवी पत्नी श्री राधेलाल, निवासी मुँरैना, श्री मोहनलाल पुत्र तोताराम, निवासी मुँरैना, श्री गोविन्द प्रसाद पुत्र तोताराम, निवासी मुँरैना, श्रीमती शीला पत्नी रमेशचंद्र, निवासी मुँरैना, श्री गोपालदास पुत्र तोताराम, निवासी मुँरैना, श्रीमती सरिता देवी पत्नी श्याम कुमार गर्ग, निवासी मुँरैना थे. दिनांक 01-01-1996 को श्री किशोर कुमार गर्ग पुत्र स्व. श्री राधेलाल, निवासी मुँरैना एवं श्री अश्विनी कुमार गर्ग पुत्र श्री ओमप्रकाश गर्ग, निवासी मुँरैना एवं श्री विनीत गर्ग पुत्र गोविन्द प्रसाद गर्ग, निवासी मुँरैना एडमिट हुये एवं श्री ओमप्रकाश गर्ग पुत्र स्व. श्री तोताराम जी गर्ग, निवासी मुँरैना, श्री मोहनलाल गर्ग पुत्र स्व. श्री तोताराम जी गर्ग, निवासी मुँरैना, श्री गोविन्द प्रसाद गर्ग पुत्र स्व. श्री तोताराम जी गर्ग, निवासी मुँरैना, श्री गोपाल दास गर्ग पुत्र स्व. श्री तोताराम जी गर्ग, निवासी मुँरैना एवं श्रीमती कपूरी देवी पत्नी स्व. श्री राधेश्याम जी गर्ग, निवासी मुँरैना सेवानिवृत्त हो गये. दिनांक 01-04-2000 को श्री विवेक कुमार गर्ग पुत्र श्री गोविन्द प्रसाद गर्ग निवासी मुँरैना, श्रीमती मीता गर्ग पत्नी श्री सौरभ कुमार गर्ग, निवासी मुँरैना एवं श्रीमती अनुपमा गर्ग पत्नी श्री अश्विनी कुमार गर्ग, निवासी मुँरैना एडमिट हुए तथा श्रीमती सरिता देवी पत्नी श्याम कुमार गर्ग, निवासी मुँरैना, किशोर कुमार गर्ग पुत्र स्व. श्री राधेश्याम गर्ग, निवासी मुँरैना एवं श्री अश्विनी कुमार गर्ग पुत्र श्री ओमप्रकाश गर्ग, निवासी मुँरैना सेवानिवृत्त हो गये. दिनांक 14-08-2002 को श्री विनीत गर्ग एच. यू. एफ. कर्ता श्री विनीत गर्ग पुत्र श्री गोविन्द प्रसाद गर्ग, निवासी मुँरैना एडमिट हुये तथा विनीत प्रसाद गर्ग पुत्र श्री गोविन्द प्रसाद गर्ग, निवासी मुँरैना एवं श्रीमती अनुपमा गर्ग पत्नी श्री अश्विनी कुमार गर्ग, निवासी मुँरैना सेवानिवृत्त हो गये. दिनांक 14-06-2006 को श्री विवेक कुमार गर्ग पुत्र श्री गोविन्द प्रसाद गर्ग, निवासी मुँरैना एवं श्री विनीत गर्ग एच. यू. एफ. कर्ता श्री विनीत गर्ग पुत्र श्री गोविन्द प्रसाद गर्ग, निवासी मुँरैना सेवानिवृत्त हो गये. दिनांक 11-04-2011 को श्री रमेशचंद्र गर्ग पुत्र स्व. श्री तोताराम जी गर्ग, निवासी मुँरैना एवं श्री रमेश चंद्र सौरभ कुमार एच. यू. एफ. कर्ता

श्री रमेशचंद गर्ग पुत्र स्व. श्री तोताराम जी गर्ग, निवासी मुरैना एडमिट हुये. दिनांक 14-10-2011 को श्रीमती शीला देवी पत्नी श्री रमेशचंद गर्ग, निवासी मुरैना एवं श्रीमती मीता पत्नी श्री सौरभ कुमार गर्ग, निवासी मुरैना सेवानिवृत्त हो गये. अतः किसी भी भागीदार व्यक्ति को कोई भी आपत्ति हो तो वह भागीदार फर्म के रजिस्टर्ड पते पर अपनी आपत्ति दस दिन के अंदर लिखित या मौखिक दर्ज करायें.

के. एस. फूड प्रोडक्स  
मीता गर्ग  
(भागीदार)

(613-बी.)

### जाहिर सूचना

यह है कि भागीदारी फर्म मै. ज्ञानी एवं कम्पनी, पता—सुखमनी विला, 0-10, साइट नं. 1, सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म. प्र.) जिसका रजिस्ट्रेशन नं. 02/42/01/00144/09, दिनांक 06-01-2009 जिसमें भागीदार श्री जसविन्दर पाल सिंह पुत्र स्व. श्री इन्दर सिंह ज्ञानी, निवासी— 0-10, साइट नं. 1, सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म. प्र.) एवं श्रीमती अविनाश कौर पत्नी श्री जसविन्दर पाल सिंह, निवासी 0-10, साइट नं. 1, सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म. प्र.) दिनांक 18-12-2014 को अमनदीप सिंह पुत्र श्री जसविन्दर पाल सिंह एवं जसकरन सिंह पुत्र श्री जसविन्दर पाल सिंह, निवासी 0-10, साइट नं. 1, सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म. प्र.) एडमिट हुये. अतः वर्तमान भागीदार फर्म मै. ज्ञानी एवं कम्पनी के भागीदार श्री जसविन्दर पाल सिंह पुत्र स्व. श्री इन्दर सिंह ज्ञानी, निवासी 0-10, साइट नं. 1, सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म. प्र.) एवं श्रीमती अविनाश कौर पत्नी श्री जसविन्दर पाल सिंह, निवासी 0-10, साइट नं. 1, सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म. प्र.) एवं अमनदीप सिंह पुत्र श्री जसविन्दर पाल सिंह, निवासी 0-10, साइट नं. 1, सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म. प्र.) एवं जसकरन सिंह पुत्र श्री जसविन्दर पाल सिंह, निवासी 0-10, साइट नं. 1, सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म. प्र.) है. अतः किसी भी भागीदार व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति फर्म के रजिस्टर्ड पते पर दस दिन के अन्दर लिखित या मौखिक दर्ज करायें.

मै. ज्ञानी एवं कम्पनी  
अमनदीप सिंह,  
(भागीदार)

(614-बी.)

### NOTICE

#### U/S. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given that the firm "AMALTAS FARMS AND LAND DEVELOPERS" of Bhopal Vide Reg. No. 462/1996-97, Date of Registration 22-03-1997 undergone the following changes:-

1. That Mrs. Rizwana Zafar W/o Syed Taj Zafar has joined from the Partnership firm and firm shall be continue to carry on the business at S-9, Sanchi Complex, IInd Floor, Opp. Board Office, Shivaji Nagar, Bhopal from w. e. f. 01-04-2000.
2. That Syed Sarwar Husain S/o Syed Anwar Husain has joined from the Partnership firm and Syed Anwar Husain S/o Syed Tasadduq Hussain has also desire to retire from the Partnership firm w. e. f. 01-04-2006.
3. That Abdullah Husain S/o Syed Sarwar Husain, Ambreen Sarwar D/o Syed Sarwar Husain and miss Bushra Sarwar D/o Syed Sarwar Husain has joined from the Partnership firm w. e. f. 01-04-2011.

"AMALTAS FARMS AND LAND DEVELOPERS"

Syed Sarwar Hussain,

(Partner)

S-9, Sanchi Complex, Second Floor, Opp. Board Office,  
Shivaji Nagar, Bhopal.

(618-B.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स कटारे कंस्ट्रक्शन कम्पनी स्थित 308, जीवाजी नगर, थाटीपुर, जिला ग्वालियर में दिनांक 11-04-2014 से भागीदार श्री श्रीकृष्ण सिंह गुर्जर पुत्र श्री रामेश्वर दयाल गुर्जर, निवासी विनोद नगर, एम. जे. एस. कॉलेज के पीछे, भिण्ड अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 11-04-2014 से श्री शशांक जैन पुत्र श्री नागेन्द्र कुमार जैन, निवासी जी-206-ए, एच.आई.जी. प्रताप विहार, गाजियाबाद (उ. प्र.) फर्म में सम्मिलित हो गये हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

फर्म—कटारे कंस्ट्रक्शन कम्पनी,  
पंकज शर्मा,

308, जीवाजी नगर, थाटीपुर, ग्वालियर (म. प्र.).

द्वारा—हेमेन्त सिरसट, (कर सलाहकार)

(619-बी.)

सोगानी एण्ड कम्पनी, नया बाजार लश्कर, ग्वालियर (म. प्र.).

## विविध

### न्यायालयों की सूचनाएं

**न्यायालय पंजीयक सार्वजनिक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, ( महु ) डॉ. अम्बेडकर नगर, जिला इन्दौर**

( फॉर्म-चार )

[ मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 ( तीस ) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत ]

क्र./637/पं.सा.न्या./2014-15.—“नव अरुणोदय पारमार्थिक ट्रस्ट” कार्यालय “कृपालय” केलोद फाटा, गवली पलासिया, तहसील महु, जिला इंदौर (म.प्र.) की ओर से डॉ. अशोक मोहन्ती “अध्यक्ष” 160, आनंद नगर, गवली पलासिया, तहसील महु, जिला इंदौर (मध्यप्रदेश) द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तियार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

#### परिशिष्ट

( पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण )

संस्था का नाम	:	“नव अरुणोदय पारमार्थिक ट्रस्ट”
कार्यालय पता	:	“कृपालय” केलोद फाटा, गवली पलासिया, तहसील महु, जिला इंदौर (म.प्र.).
अचल सम्पत्ति	:	ग्राम गवली पलासिया, तहसील महु, जिला इंदौर (म.प्र.) स्थित भूमि सर्वे नम्बर 175, रकबा 0.129 लगान 0.74.
चल सम्पत्ति	:	पलंग-23, कुर्सी-36, डायनिंग टेबल-6, अलमारी-20, वर्तन व गैस टंकी चूल्हा तथा बैंक में जमा राशि रुपये 1,05,000.00 (अक्षरी एक लाख पाँच हजार रुपये मात्र.)

आज दिनांक 27 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

**विजय कुमार अग्रवाल,**  
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

(83)

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं पंजीयक, लोक न्यास, बैतूल, जिला बैतूल**

**प्ररूप क्रमांक-4**

[ नियम-5 (1) देखिये ]

[ मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 ( 1951 का 30 ) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-3 (1)के द्वारा ]

( लोक न्यासों के पंजीयक बैतूल, जिला बैतूल के समक्ष ).

यह कि डागा फाउण्डेशन समिति, कोठी बाजार, बैतूल, तहसील जिला बैतूल ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 ( 1951 का 30 ) की धारा-4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन-पत्र पर दिनांक 22 मार्च, 2013 के दिवस मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

## अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम	..	डागा फाउण्डेशन समिति, कोठी बाजार, बैतूल
2. चल सम्पत्ति	..	1,00,000/- (एक लाख रुपये).
3. अचल सम्पत्ति	..	निरंक.

ए. के. रिछारिया.

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(84)

## न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, पब्लिक ट्रस्ट, बरेली, जिला रायसेन

[ धारा-5 (2) मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (30 सन् 1951) और 5 (1) मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट, 1962 के अन्तर्गत ]

मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अनुसूची में दिये गये जायदाद, मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा उप धारा (4) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट है.

अतैव मैं, ओ. पी. सोनी, पंजीयक ट्रस्ट उक्त एक्ट की धारा-5 की उपधारा (1) के अनुसार अपने न्यायालय में दिनांक 12 मई, 2008 इस मामले की जाँच करना चाहता हूँ.

अतः यह सूचना दी जाती है कि निम्नांकित ट्रस्ट का कोई व्यक्ति ट्रस्ट की कार्यवाही में सदस्य या अन्य कोई व्यक्ति रुचि रखने वाला आपत्ति या सुझाव प्रकट करना चाहता है तो लिखित उत्तर दो प्रतियों में सूचना प्रकाशन की एक माह की अवधि के अन्दर प्रस्तुत करे और उपरोक्त दिनांक को स्वयं या किसी अधिवक्ता या अधिकृत एजेन्ट द्वारा न्यायालय में उपस्थित हो. उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों में कोई विचार नहीं किया जावेगा.

## अधिसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता और चल/अचल संपत्ति का विवरण )

पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता :—तारण तरण दिगम्बर जैन चैत्यालय बरेली, तहसील बरेली, जिला रायसेन मध्यप्रदेश.

## (1) कार्यकारी न्यासी एवं प्रबंधकों का विवरण—

01.	श्री शिखरचंद्र जैन आ. श्री मिश्रीलाल जैन	अध्यक्ष
02.	श्री हेम कुमार जैन आ. श्री तुलसीराम जैन	वरिष्ठ उपाध्यक्ष
03.	डॉ. श्री रामस्वरूप जैन आ. बाबूलाल जैन	उपाध्यक्ष
04.	श्री मुकेश कुमार जैन आ. श्री रामविलास जैन	सचिव
05.	श्री बाबूलाल तारण आ. श्री पन्नालाल जैन	कोषाध्यक्ष
06.	श्री बाबूलाल जैन आ. श्री भागचंद जैन	सदस्य
07.	श्री कमलचन्द्र आ. श्री दीपचन्द्र जैन	सदस्य
08.	श्री दिनेश कुमार जैन आ. भैयालाल जैन	सदस्य
09.	श्री प्रदीप कुमार आ. श्री मिश्रीलाल जैन	सदस्य
10.	श्री दिनेश कुमार आ. श्री तुलसीराम जैन	सदस्य
11.	श्री राकेश तारण आ. बाबूलाल तारण	सदस्य
12.	श्री हीरालाल आ. बिहारीलाल जन	सदस्य

न्यास के संबंध में यदि कोई स्कीम हो तो उसके ब्यौरे संलग्न दस्तावेज न्यास विलेख के अनुसार रहेंगे.

## (अ) अचल सम्पत्ति का विवरण—

1. तारण तरण दिगम्बर चैत्यालय मंदिर जो दो मंजिला पक्का बना है जिसकी दीवार सहित लम्बाई 27 फीट एवं दीवार सहित चौड़ाई 16 फीट 6 इंच है एवं पूर्व में चैत्यालय हेतु खरीदा भैयालाल जैन का मकान पूर्व पश्चिम की ओर 21 फीट 10 इंच,

दक्षिण की ओर 26 फिट 6 इंच, उत्तर-दक्षिण-पूर्व की ओर 73 फिट एवं पश्चिम की ओर 36 फिट कुल 1300 वर्गफिट 120-7 वर्गमीटर भैयालाल जैन का मकान जिसे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा चैत्यालय हेतु चैत्यालय मंदिर की राशि से दिनांक 29 मई, 2003 को खरीदा गया.

**( ब ) चल सम्पत्ति का विवरण—**

1. चांदी के 6 छत्र बजनी लगभग 500 ग्राम, 2-सोने के पालिस किसे 5 कलश, 3-चांदी के चार चंवर बजनी लगभग 400 ग्राम, 4-वर्तनों से भरी एक लोहे की पंलग पेटी जिसमें दो ताले लगे हैं. 5-एक गोदरेज की छोटी अलमारी, 6-माईक मशीन एक, 7-इनबर्टर एक, 8-चांदी का छोटा छत्र एक, 9-सोने की टाप्स बजनी तीन ग्राम, 10-पीतल का घंटा एक, 11-लकड़ी तखत 2 एवं एक छोटा तखत, 12-लकड़ी तीन चौकी शास्त्र रखने की, 13-मंदिर विधि करने का शास्त्र स्टैंड लोहे का एक, 14-पीतल की आरती 2 बड़ी 1 छोटी एवं 2 स्टील.
2. स्टील का एक कोपर, 15-बिछाने वाले चटाई पांच, 16-दो लकड़ी के बेंच हैं जिसमें एक तरफ गुल्लक भी है. 17-एक हैण्डपम्प, 18-भोजन बैठकर करने के लकड़ी 10 पटा, 19-एक ढोलक 4 मंजीरे एक खंजरी, 20-सीलिंग फेन तीन, 21-बाल्टी 2 लोहे की पुरानी एक प्लास्टिक की, 22-लगभग 250-300 धर्मशास्त्र एवं अन्य धार्मिक पुस्तकें, 23-जाप करने की 10-15 जोड़-बेजोड़ मालाएँ, 24-पीले कपड़े के 12 टेबिल पोश.

**( 2 ) न्यास की आय के स्रोत—**

न्यास की प्रमुख आमदानी का स्रोत न्यासी सदस्यों एवं दानदाताओं द्वारा दान की गई धनराशि है इसके अतिरिक्त न्यास शासन प्रदेश केन्द्र निगमित निकाय एवं अन्य किसी सार्वजनिक एवं निजी संस्थाओं से अनुदान प्राप्त करेगा.

**( 3 ) औसत वार्षिक आय— 20,000/- रुपये ( अक्षरी बीस हजार रुपये प्रतिवर्ष ).**

न्यास की सदस्यता प्रबन्ध कारकों का गठन, उद्देश्य, दैनिक कार्यों की देखरेख, वित्तीय कार्यों की देखरेख, पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य से सम्बन्धित है.

उक्त प्रस्तावित न्यास के सदस्यों/प्रबंधकों के सम्बन्ध में भी यदि किसी को आपत्ति हो वह दिनांक 23 फरवरी, 2015 को अथवा उसके पूर्व स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है.

**ओ. पी. सोनी,**

(85)

पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ).

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, बैरागढ़ वृत्त, जिला भोपाल**

भोपाल, दिनांक 07 अक्टूबर, 2014

[ मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) के अन्तर्गत ]

समक्ष रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, जिला भोपाल.

क्र./बी-113/बैरा. वृत्त/14.—जैसा कि श्री सुरेन्द्र सिंह परमार आ. श्री मुलायमसिंह परमार, निवासी भोपाल द्वारा राष्ट्रीय हिन्दू सेना ट्रस्ट, 107 आनंद मंगलम अपार्टमेंट महेन्द्रा शोरूम के पीछे विजय नगर लालघाटी, भोपाल जिला भोपाल के पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

2. एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 28 नवम्बर, 2014 को विचार में लिया जावेगा. यदि कोई व्यक्ति या संस्था जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो लिखित में दो प्रतियों में सूचना के प्रकाशन के एक माह में मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

**अनुसूची**

ट्रस्ट का नाम व पता	..	राष्ट्रीय हिन्दू सेना ट्रस्ट.
कार्यालय पता	..	107 आनंद मंगलम अपार्टमेंट महेन्द्रा शोरूम के पीछे विजय नगर लालघाटी, भोपाल.

अचल सम्पत्ति	..	संस्था की प्रारंभिक चल सम्पत्ति निरंक.
चल सम्पत्ति	..	5100/-.

अविनाश कुमार तिवारी,  
अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

(100)

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, राजधानी परियोजना, टी. टी. नगर वृत्त, भोपाल**

प्ररूप-4

[नियम-5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

जैसा कि "आल इण्डिया एसोसिएशन ऑफ इन्फोरमेशन टेक्नालॉजी एजुकेशन ट्रस्ट" द्वारा श्री विक्रम भट्ट आ. श्री विजेन्द्र भट्ट, निवासी एल. एफ-27, मानसरोवर काम्पलेक्स, एम. पी. नगर, भोपाल, ट्रस्ट का पता एल. एफ-27, मानसरोवर काम्पलेक्स एम.पी.नगर, भोपाल ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-2 के तहत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने हेतु निवेदन किया गया है।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे न्यायालय में दिनांक 29 जनवरी, 2015 को विचार किया जाएगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट या सम्पत्ति में हित रखते हों और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हों, वे इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के अन्दर अपनी आपत्ति अथवा सुझाव दो प्रतियों में मेरे समक्ष स्वयं अथवा यथास्थिति विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है. उपरोक्त अवधि के व्यतीत होने के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

## अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम	..	"आल इण्डिया एसोसिएशन ऑफ इन्फोरमेशन टेक्नालॉजी एजुकेशन ट्रस्ट"
2. अचल सम्पत्ति	..	निरंक.
3. चल सम्पत्ति	..	5100/-.

मनोज सरियाम.

अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

(101)

## अन्य सूचनाएं

## कार्यालय वनसंरक्षक पदेन वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल गुना

**प्रकरण का विवरण :-** परिक्षेत्र आरोन अन्तर्गत एक वीट हैमर, निम्नानुसार आकृति का प्रदाय किया गया था. जिसे परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा श्री विक्रम प्रसाद द्विवेदी, वनरक्षक कूप प्रभारी कूप क्र./IXसावनभादों-1 विभागीय कार्य क्रियान्वयन हेतु प्रदाय किया गया था. परिक्षेत्र अधिकारी आरोन के पत्र क्रमांक/605, दिनांक 16 जून, 2014 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार वनरक्षक द्वारा कूप में कार्य के दौरान हैमर गुम होने की सूचना प्राप्त हुई है. हैमर की खोज बिन उपरांत उक्त पत्र के संलग्न रिपोर्ट के अनुसार वनरक्षक श्री विक्रम प्रसाद द्विवेदी, द्वारा थाना प्रभारी आरोन को उक्त गुमशुदा हैमर की सूचना दिनांक 10 जून, 2014 को दी गई.

## आदेश

क्रमांक/डी.एम./204/18

गुना, दिनांक 16 जनवरी, 2015

वन वित्तीय नियम 124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए निम्नांकित आकृति का 1 वीट हैमर भण्डार से अपलेखित करने एवं हैमर के पुस्तकीय मूल्य रुपये 97/- वसूल करने का आदेश दिया जाता है. किसी भी व्यक्ति द्वारा अंकित आकृति के हैमर का उपयोग करते हुए पाये जाने पर अवैधानिक होगा.



उपरोक्त हैमर किसी व्यक्ति को मिले तो वे तत्काल निकटवर्ती पुलिस थाने या अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में जमा करें.

इस विज्ञप्ति के पश्चात् यदि कोई व्यक्ति के द्वारा उक्त हेमर गुम दिनांक से अनाधिकृत रूप से रखने या प्रयोग में लाते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध दण्ड विधान के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

ऐ. के. यादव  
वन संरक्षक पदेन,  
वनमण्डलाधिकारी।

(82)

### कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार

#### “कारण बताओ सूचना-पत्र”

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,  
जय दुर्गा महिला साख सहकारी संस्था मर्या., बदनावर,  
तहसील बदनावर, जिला धार.  
(पंजीयन क्रमांक 1227, दिनांक 03 अप्रैल, 2007)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) की अनुशंसा एवं कार्यालयीन जानकारी अनुसार आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है। रिकॉर्ड अनुसार निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है।
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है।
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है।
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है।
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयवधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं।
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा।

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. /एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे। इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 02 जनवरी, 2015 को समय दोपहर 12.30 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 09 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

ओ. पी. गुप्ता,  
उप-रजिस्ट्रार।

(80-Q)

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर

सागर, दिनांक 23 जनवरी, 2015

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/132.—महिला प्राथ. सहकारी भण्डार मर्या., भगत सिंह वार्ड बीना, वि. खं. बीना, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 662, दिनांक 02 दिसम्बर, 1996 के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/14/1462, दिनांक 07 नवम्बर, 2014 के अनुसार संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा डी वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है। जिसके कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक परि./1860, दिनांक 19 नवम्बर, 2014 द्वारा सोसायटी के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया



जाकर संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप संस्था द्वारा कार्य नहीं करने एवं जिस उद्देश्य हेतु संस्था का गठन किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था के अक्षम रहने के सम्बन्ध में उत्तर चाहा गया था. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत न करने से स्पष्ट है कि संस्था सदस्यों को संस्था के संचालन में कोई रुचि नहीं है. अतएव उपर्युक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत महिला प्राथ. सहकारी भण्डार मर्या., भगत सिंह वार्ड बीना, वि. खं. बीना, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 662, दिनांक 02 दिसम्बर, 1996 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, बीना को आदेश जारी होने के दिनांक से उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(87)

सागर, दिनांक 23 जनवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/133.—रानी दुर्गावती प्राथ. सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., गौरझामर, वि. खं. देवरी, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 722, दिनांक 19 दिसम्बर, 1997 के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/14/1462, दिनांक 07 नवम्बर, 2014 के अनुसार संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा डी वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है. जिसके कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक परि./1861, दिनांक 19 नवम्बर, 2014 द्वारा सोसायटी के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप संस्था द्वारा कार्य नहीं करने एवं जिस उद्देश्य हेतु संस्था का गठन किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था के अक्षम रहने के सम्बन्ध में उत्तर चाहा गया था. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत न करने से स्पष्ट है कि संस्था सदस्यों को संस्था के संचालन में कोई रुचि नहीं है. अतएव उपर्युक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रानी दुर्गावती प्राथ. सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., गौरझामर, वि. खं. देवरी, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 722, दिनांक 19 दिसम्बर, 1997 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, देवरी को आदेश जारी होने के दिनांक से उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(87-A)

सागर, दिनांक 23 जनवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/134.—राजीव गांधी प्राथ. सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., बरायठा, वि. खं. शाहगढ़, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 691, दिनांक 08 जुलाई, 1997 के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/14/1462, दिनांक 07 नवम्बर, 2014 के अनुसार संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा डी वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है. जिसके कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक परि./1862, दिनांक 19 नवम्बर, 2014 द्वारा सोसायटी के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप संस्था द्वारा कार्य नहीं करने एवं जिस उद्देश्य हेतु संस्था का गठन किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था के अक्षम रहने के सम्बन्ध में उत्तर चाहा गया था. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत न करने से स्पष्ट है कि संस्था सदस्यों को संस्था के संचालन में कोई रुचि नहीं है. अतएव उपर्युक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत राजीव गांधी प्राथ. सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., बरायठा, वि. खं. शाहगढ़, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 691, दिनांक 08 जुलाई, 1997 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, शाहगढ़ को आदेश जारी होने के दिनांक से उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(87-B)

सागर, दिनांक 23 जनवरी, 2015

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/135.—विपणन सहकारी समिति मर्या., बण्डा, वि. खं. बण्डा, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 556, दिनांक 30 अक्टूबर, 1946 के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/14/1462, दिनांक 07 नवम्बर, 2014 के अनुसार संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा डी वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है। जिसके कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक परि./1863, दिनांक 19 नवम्बर, 2014 द्वारा सोसायटी के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप संस्था द्वारा कार्य नहीं करने एवं जिस उद्देश्य हेतु संस्था का गठन किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था के अक्षम रहने के सम्बन्ध में उत्तर चाहा गया था। संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत न करने से स्पष्ट है कि संस्था सदस्यों को संस्था के संचालन में कोई रुचि नहीं है। अतएव उपर्युक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत विपणन सहकारी समिति मर्या., बण्डा, वि. खं. बण्डा, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 556, दिनांक 30 अक्टूबर, 1946 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, बण्डा को आदेश जारी होने के दिनांक से उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 23 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया।

(87-C)

सागर, दिनांक 23 जनवरी, 2015

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/136.—सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया सोसायटी मर्या., राहतगढ़, वि. खं. राहतगढ़, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 120, दिनांक 29 जून, 1999 के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/14/1462, दिनांक 07 नवम्बर, 2014 के अनुसार संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा डी वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है। जिसके कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक परि./1864, दिनांक 19 नवम्बर, 2014 द्वारा सोसायटी के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप संस्था द्वारा कार्य नहीं करने एवं जिस उद्देश्य हेतु संस्था का गठन किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था के अक्षम रहने के सम्बन्ध में उत्तर चाहा गया था। संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत न करने से स्पष्ट है कि संस्था सदस्यों को संस्था के संचालन में कोई रुचि नहीं है। अतएव उपर्युक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया सोसायटी मर्या., राहतगढ़, वि. खं. राहतगढ़, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 120, दिनांक 29 जून, 1999 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, राहतगढ़ को आदेश जारी होने के दिनांक से उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 23 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया।

(87-D)

सागर, दिनांक 23 जनवरी, 2015

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/137.—सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया सोसायटी मर्या., केसली, वि. खं. केसली, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 134, दिनांक 19 मार्च, 2003 के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/14/1462, दिनांक 07 नवम्बर, 2014 के अनुसार संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा डी वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है। जिसके कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक परि./1865, दिनांक 19 नवम्बर, 2014 द्वारा सोसायटी के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर संस्था की

पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप संस्था द्वारा कार्य नहीं करने एवं जिस उद्देश्य हेतु संस्था का गठन किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था के अक्षम रहने के सम्बन्ध में उत्तर चाहा गया था. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत न करने से स्पष्ट है कि संस्था सदस्यों को संस्था के संचालन में कोई रुचि नहीं है. अतएव उपर्युक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया सोसायटी मर्या., केसली, वि. खं. केसली, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 134, दिनांक 19 मार्च, 2003 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, केसली को आदेश जारी होने के दिनांक से उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(87-E)

सागर, दिनांक 23 जनवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/138.—श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या., बिलहरा, वि. खं. जैसीनगर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 517, दिनांक 21 अगस्त, 1991 के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/14/1462, दिनांक 07 नवम्बर, 2014 के अनुसार संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा डी वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है. जिसके कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक परि./1866, दिनांक 19 नवम्बर, 2014 द्वारा सोसायटी के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप संस्था द्वारा कार्य नहीं करने एवं जिस उद्देश्य हेतु संस्था का गठन किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था के अक्षम रहने के सम्बन्ध में उत्तर चाहा गया था. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत न करने से स्पष्ट है कि संस्था सदस्यों को संस्था के संचालन में कोई रुचि नहीं है. अतएव उपर्युक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या., बिलहरा, वि. खं. जैसीनगर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 517, दिनांक 21 अगस्त, 1991 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, जैसीनगर को आदेश जारी होने के दिनांक से उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(87-F)

सागर, दिनांक 23 जनवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/139.—शिवा हाथकरछा सहकारी समिति मर्या., सोंरई, वि. खं. बण्डा, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 502, दिनांक 09 जनवरी, 1995 के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/14/1462, दिनांक 07 नवम्बर, 2014 के अनुसार संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा डी वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है. जिसके कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक परि./1867, दिनांक 19 नवम्बर, 2014 द्वारा सोसायटी के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप संस्था द्वारा कार्य नहीं करने एवं जिस उद्देश्य हेतु संस्था का गठन किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था के अक्षम रहने के सम्बन्ध में उत्तर चाहा गया था. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत न करने से स्पष्ट है कि संस्था सदस्यों को संस्था के संचालन में कोई रुचि नहीं है. अतएव उपर्युक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत शिवा हाथकरछा सहकारी समिति मर्या., सोंरई, वि. खं. बण्डा, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 502, दिनांक 09 जनवरी, 1995 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, बण्डा को आदेश जारी होने के दिनांक से उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(87-G)

सागर, दिनांक 23 जनवरी, 2015

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/140.—रैकवार मत्स्य सहकारी समिति मर्या., बीलाडेम, वि. खं. शाहगढ़, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 310, दिनांक 12 फरवरी, 1978 के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/14/1462, दिनांक 07 नवम्बर, 2014 के अनुसार संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा डी वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है। जिसके कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक परि./1868, दिनांक 19 नवम्बर, 2014 द्वारा सोसायटी के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप संस्था द्वारा कार्य नहीं करने एवं जिस उद्देश्य हेतु संस्था का गठन किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था के अक्षम रहने के सम्बन्ध में उत्तर चाहा गया था। संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत न करने से स्पष्ट है कि संस्था सदस्यों को संस्था के संचालन में कोई रुचि नहीं है। अतएव उपर्युक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रैकवार मत्स्य सहकारी समिति मर्या., बीलाडेम, वि. खं. शाहगढ़, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 310, दिनांक 12 फरवरी, 1978 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, शाहगढ़ को आदेश जारी होने के दिनांक से उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 23 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया।

(87-H)

सागर, दिनांक 23 जनवरी, 2015

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/141.—समहित मत्स्य सहकारी समिति मर्या., छिवला, वि. खं. देवरी, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1230, दिनांक 21 दिसम्बर, 2006 के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/14/1462, दिनांक 07 नवम्बर, 2014 के अनुसार संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा डी वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है। जिसके कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक परि./1869, दिनांक 19 नवम्बर, 2014 द्वारा सोसायटी के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप संस्था द्वारा कार्य नहीं करने एवं जिस उद्देश्य हेतु संस्था का गठन किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था के अक्षम रहने के सम्बन्ध में उत्तर चाहा गया था। संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत न करने से स्पष्ट है कि संस्था सदस्यों को संस्था के संचालन में कोई रुचि नहीं है। अतएव उपर्युक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत समहित मत्स्य सहकारी समिति मर्या., छिवला, वि. खं. देवरी, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1230, दिनांक 21 दिसम्बर, 2006 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, देवरी को आदेश जारी होने के दिनांक से उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 23 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया।

(87-I)

सागर, दिनांक 23 जनवरी, 2015

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/142.—अ. जा. महिला विकास सहकारी समिति मर्या., राहतगढ़, वि. खं. राहतगढ़, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1100, दिनांक 10 मार्च, 2004 के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/14/1462, दिनांक 07 नवम्बर, 2014 के अनुसार संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा डी वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है। जिसके कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक परि./1870, दिनांक 19 नवम्बर, 2014 द्वारा सोसायटी के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर संस्था की

पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप संस्था द्वारा कार्य नहीं करने एवं जिस उद्देश्य हेतु संस्था का गठन किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था के अक्षम रहने के सम्बन्ध में उत्तर चाहा गया था. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत न करने से स्पष्ट है कि संस्था सदस्यों को संस्था के संचालन में कोई रुचि नहीं है. अतएव उपर्युक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत अ. जा. महिला विकास सहकारी समिति मर्या., राहतगढ़, वि. खं. राहतगढ़, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1100, दिनांक 10 मार्च, 2004 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, राहतगढ़ को आदेश जारी होने के दिनांक से उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(87-J)

सागर, दिनांक 23 जनवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/143.—श्री गणेश कृषक कामगार सहकारी समिति मर्या., देवरी, वि. खं. देवरी, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 143, दिनांक 24 अक्टूबर, 2006 के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/14/1462, दिनांक 07 नवम्बर, 2014 के अनुसार संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा डी वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है. जिसके कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक परि./1871, दिनांक 19 नवम्बर, 2014 द्वारा सोसायटी के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप संस्था द्वारा कार्य नहीं करने एवं जिस उद्देश्य हेतु संस्था का गठन किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था के अक्षम रहने के सम्बन्ध में उत्तर चाहा गया था. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत न करने से स्पष्ट है कि संस्था सदस्यों को संस्था के संचालन में कोई रुचि नहीं है. अतएव उपर्युक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत श्री गणेश कृषक कामगार सहकारी समिति मर्या., देवरी, वि. खं. देवरी, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 143, दिनांक 24 अक्टूबर, 2006 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, देवरी को आदेश जारी होने के दिनांक से उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

संजय नायक,

उप-पंजीयक .

(87-K)

### कार्यालय डिप्टी-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, छतरपुर

छतरपुर, दिनांक 27 दिसम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के तहत]

क्र./परि./2014/2426.—अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बड़ामलहरा द्वारा उपने पत्र क्रमांक 168/2014, दिनांक 04 अगस्त, 2014 के द्वारा इस कार्यालय को यह लेख किया था. कि पंजीयन क्रमांक 640, दिनांक 04 जनवरी, 1991 के नाम पर निम्न तीन भण्डारों के नाम से पत्राचार किया जा रहा है.—

- |    |  |                |
|----|--|----------------|
| 1. | प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बड़ामलहरा        | 640/04-01-1991 |
| 2. | महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बड़ामलहरा  | 640/04-01-1991 |
| 3. | सद्भाव प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बड़ामलहरा | 640/04-01-1991 |

उक्त के सम्बन्ध में उक्त तीनों संस्थाओं के नाम से रजिस्टर्ड सूचना-पत्र भेजे जाकर सुनवाई दिनांक 15 सितम्बर, 2014 में नियत की गयी थी. दिनांक 15 सितम्बर, 2014 को प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बड़ामलहरा को प्रेषित रजिस्टर्ड सूचना-पत्र इस कार्यालय को वापिस

प्राप्त हो गया है. महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बडामलहरा की ओर से श्री महेश देवडिया को सूचना-पत्र भेजा गया था. लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ. सद्भाव प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बडामलहरा की ओर से श्री सुनील कुमार नापित उपस्थित हुये तथा उनके द्वारा यह लिखित पत्र प्रस्तुत किया गया है कि वे ना तो किसी भण्डार के सदस्य है और न ही किसी निर्वाचन में भाग लिया है. उनका नाम गलत तरीके से जोडा गया है.

उक्त भण्डार के संबंध में कार्यालयीन अभिलेखों का अवलोकन किया गया जिसमें यह पाया गया कि इस कार्यालय द्वारा उक्त पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक पर मात्र एक संस्था पंजीकृत है. जिसका नाम प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बडामलहरा तथा उसका पंजीयन क्रमांक 640, दिनांक 04 जनवरी, 1991 है. (पंजीयन प्रमाण प्रति संलग्न है) महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बडामलहरा एवं सद्भाव प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बडामलहरा के नाम से इस कार्यालय द्वारा कोई पंजीकृत संस्था नहीं है. लेकिन पंजीयन क्रमांक 640, दिनांक 04 जनवरी, 1991 पर पंजीकृत प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., बडामलहरा की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ. इससे यह स्पष्ट है कि:-

1. उक्त संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है तथा संस्था का कोई कार्यालय नहीं है.
2. उक्त संस्था पूर्णतः अकार्यशील है.
3. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से कोई कार्य नहीं किया गया है. स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों को संस्था में कोई रुचि नहीं है.
4. संस्था में नियम विरुद्ध तरीके से सदस्यों के नाम लिखे गये हैं.
5. संस्था द्वारा संस्था का अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
6. संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया है.

उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., बडामलहरा, पंजीयन क्रमांक 640, दिनांक 04 जनवरी, 1991 पूर्णतः निष्क्रिय एवं अकार्यशील है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

उक्त के सम्बन्ध में प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., बडामलहरा, पंजीयन क्रमांक 640, दिनांक 04 जनवरी, 1991 को सहकारी अधिनियम, की धारा-69 (3) के तहत कार्यालयीन पत्र क्र. परि./2014/2047, दिनांक 22 नवम्बर, 2014 के द्वारा कारण बताओं सूचना-पत्र जारी किया जाकर दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 तक उत्तर प्रस्तुत करने हेतु समय निर्धारित किया गया था लेकिन निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत आज दिनांक तक उक्त संस्था की ओर से कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही कोई उपस्थित हुआ है. इससे स्पष्ट है कि उक्त संस्था के सदस्यों को संस्था में कोई रुचि नहीं है तथा संस्था पूर्णतः निष्क्रिय एवं अकार्यशील है एवं संस्था में सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर, प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., बडामलहरा, पंजीयन क्रमांक 640, दिनांक 04 जनवरी, 1991 को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री आर. एन. सिंह यादव, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(88)

छतरपुर, दिनांक 14 जनवरी, 2015

[ मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/84.—प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बडामलहरा (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./1078, छतरपुर, दिनांक 05 अक्टूबर, 2005 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2007/1620, दिनांक 29 दिसम्बर, 2007 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी बडामलहरा को परिसमापक नियुक्त किया गया था. इसके पश्चात कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./08/1184, दिनांक 17 दिसम्बर, 2008 के द्वारा उक्त भण्डार को पुर्नजीवित किया गया था. लेकिन न्यायालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थायें, सागर, संभाग सागर ने अपने आदेश दिनांक 24 अगस्त, 2009 के द्वारा उक्त भण्डार को पुर्नजीवित करने का आदेश क्रमांक/परि./08/1184, दिनांक 17 दिसम्बर, 2008 को निरस्त कर दिया गया . स्पष्ट है कि उक्त भण्डार को परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्रमांक/परि./12/1620, दिनांक 29 दिसम्बर, 2007 पुनः प्रभावशील हो गया है तथा संस्था परिसमापन में आ गयी. इसलिये संस्था में परिसमापक की नियुक्ति की जाकर परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया था.

उक्त संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री आर. एन. सिंह यादव द्वारा संस्था की सम्पूर्ण लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था की सम्पूर्ण लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण हो जाने तथा संस्था की बैलेन्स सीट निल हो जाने के कारण संस्था के परिसमापक के अन्तिम प्रतिवेदन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-1-सी, अन्तर्गत एवं भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएँ, छतरपुर, उक्त प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बडामलहरा पंजीयन क्रमांक 1078, छतरपुर दिनांक 05 अक्टूबर, 2005 का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय (बाडी कांर्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 19 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

**अखिलेश कुमार निगम,**

डिप्टी रजिस्ट्रार .

(88-A)

### कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला शिवपुरी

शिवपुरी, दिनांक 20 जनवरी, 2015

क्र./परि./2015/78.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./1650, दिनांक 12 नवम्बर, 2014 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खनियाधाना को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब चाहा गया था। परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि संस्था के सदस्य कार्य में रूचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है। अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है।

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खनियाधाना जिसका पंजीयन क्रमांक 586, दिनांक 30 अगस्त, 2011 है, को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री विजय जैन, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

(89)

शिवपुरी, दिनांक 20 जनवरी, 2015

क्र./परि./2015/79.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./1651, दिनांक 12 नवम्बर, 2014 द्वारा बालाजी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, करैरा को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब चाहा गया था। परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि संस्था के सदस्य कार्य में रूचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है। अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है।

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत बालाजी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, करैरा जिसका पंजीयन क्रमांक 595, दिनांक 22 जनवरी, 2013 है, को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री उमेश चंद पाठक, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

**एस. के. सिंह,**

उप-पंजीयक.

(89-A)

### कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना

[म. प्र. सहकारी समितियां नियम 1962 के नियम-57 सी के अन्तर्गत]

समस्त संबंधितों को सूचना-पत्र के माध्यम से अवगत कराया जाता है कि अद्योहस्ताक्षरकर्ता को संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं

चम्बल संभाग मुरैना निम्न सहकारी संस्थाओं का सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 के अन्तर्गत पंजीयन निरस्त कर शासकीय समनुदेशिती नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	पंजीयन क्रमांक/दिनांक
1.	चम्बल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पोरसा	564/23-11-2002	259/19-02-2014
2.	सार्वजनिक प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., अम्बाह	4629/04-10-1947	261/19-02-2014
3.	ईट चूना उद्योग सहकारी संस्था मर्या., मृगपुरा	508/05-11-1987	928/24-07-2014
4.	एम. एस. बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., वरेह	1374/21-01-2011	932/24-07-2014

उक्त संस्थाओं के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाना है, अतः सम्बद्ध हितबद्ध व्यक्तियों/संस्था जो इस संस्था से कोई लेना-देना रखता है तो अपना दावा/क्लेम सूचना-पत्र प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर मय दस्तावेजी सबूत के मुझे या कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं ए.बी.रोड चम्बल भवन मुरैना में कार्यालयीन समय में आवक कक्ष में प्रस्तुत करें, निर्धारित तिथि के पश्चात् कोई दावा/क्लेम मान्य नहीं किया जावेगा व लेनदारी/देनदारी का अन्तिम निराकरण कर दिया जावेगा.

(90)

ओ. एन. शर्मा,  
अंकेक्षण अधिकारी.

### कार्यालय, परिसमापक एवं उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, जिला मुरैना

दिनांक 12 दिसम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम 57-सी के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/2004.—यह कि, समस्त संबंधितों को इस सूचना-पत्र के माध्यम से अवगत कराया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता को उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मिरघान
2.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जींगनी
3.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अजनोधा
4.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जारह
5.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जनकपुर
6.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिहोरी
7.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रिठौराकलां
8.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धूरकूडा
9.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कोटसिरथरा
10.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., परसोटा
11.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हारगांगोली
12.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अगरोथा
13.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दोनारी
14.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., थरा (जौरा)

अधोहस्ताक्षरकर्ता को उक्त संस्थाओं के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण करना है. पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण करनी है. अतः समस्त संबंधियों को अवगत कराया जाता है कि यदि किसी को उक्त संस्था से कोई लेनदारी/देनदारी है तो वह अपने दावे सूचना-पत्र के प्रकाशन से दो माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें. अन्यथा की स्थिति में यह माना जाकर कि कोई दावा नहीं है संस्था की लेनदारी/देनदारी का अन्तिम निराकरण कर दिया जावेगा.

(91)

विजय गौतम,  
परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.



दिनांक 06 फरवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम 57-सी के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/182.—यह कि, समस्त संबंधितों को इस सूचना-पत्र के माध्यम से अवगत कराया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता को उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला मुँरैना द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कोथराकलां
2.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धर्मगढ
3.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कीचोल
4.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कसमाडा
5.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., विजयगढ
6.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खोड किराईच
7.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., किराईच
8.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुकथरी

अधोहस्ताक्षरकर्ता को उक्त संस्थाओं के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण करना है. पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण करनी है. अतः समस्त संबंधियों को अवगत कराया जाता है कि यदि किसी को उक्त संस्था से कोई लेनदारी/देनदारी है तो वह अपने दावे सूचना-पत्र के प्रकाशन से दो माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें. अन्यथा की स्थिति में यह माना जाकर कि कोई दावा नहीं है संस्था की लेनदारी/देनदारी का अन्तिम निराकरण कर दिया जावेगा.

रामजीलाल,  
परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

(92)

दिनांक 06 फरवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम 57-सी के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/183.—यह कि, समस्त संबंधितों को इस सूचना-पत्र के माध्यम से अवगत कराया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता को उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला मुँरैना द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुटरावली
2.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नेपरी
3.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टेंटरा
4.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मांगरोल
5.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भटपुरा

अधोहस्ताक्षरकर्ता को उक्त संस्थाओं के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण करना है. पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण करनी है. अतः समस्त संबंधियों को अवगत कराया जाता है कि यदि किसी को उक्त संस्था से कोई लेनदारी/देनदारी है तो वह अपने दावे सूचना-पत्र के प्रकाशन से दो माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें. अन्यथा की स्थिति में यह माना जाकर कि कोई दावा नहीं है संस्था की लेनदारी/देनदारी का अन्तिम निराकरण कर दिया जावेगा.

गोपाल महेश्वरी,  
परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

(93)

### कार्यालय परिसमापक सहकारी प्रिंटिंग प्रेस मर्या., श्योपुर, जिला श्योपुर

[ मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम-1962 के नियम-57 (सी/ग)के अन्तर्गत ]

सहकारी प्रिंटिंग संस्था मर्या., श्योपुर, तहसील श्योपुर, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एस.पी.आर./6, दिनांक 08 अगस्त 2001 है, को सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/899, श्योपुर, दिनांक 20 जनवरी, 2015 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण-पत्र के मुझे लिखित में कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दिशा में साहकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वधीन होंगे.

यदि निर्धारित अवधि में मय प्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा. संस्था की उपलब्ध लेखा पुस्तकों एवं उपलब्ध जानकारी में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये समझे जावेंगे.

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

(94)

### कार्यालय परिसमापक श्रमिक सहकारी संस्था मर्या., सरजूपुरा, जिला श्योपुर

[ मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम-1962 के नियम-57 (सी/ग)के अन्तर्गत ]

श्रमिक सहकारी संस्था मर्या., सरजूपुरा, तहसील बड़ौदा, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एस.पी.आर./131, दिनांक 08 अप्रैल, 2011 है, को सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/899, श्योपुर, दिनांक 20 जनवरी, 2015 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण-पत्र के मुझे लिखित में कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दिशा में साहकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वधीन होंगे.

यदि निर्धारित अवधि में मय प्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा. संस्था की उपलब्ध लेखा पुस्तकों एवं उपलब्ध जानकारी में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये समझे जावेंगे.

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

(94-A)

### कार्यालय परिसमापक राजीव गांधी श्रमिक सहकारी संस्था मर्या., श्योपुर, जिला श्योपुर

[ मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम-1962 के नियम-57 (सी/ग)के अन्तर्गत ]

राजीव गांधी श्रमिक सहकारी संस्था मर्या., श्योपुर, तहसील श्योपुर, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एस.पी.आर./10, दिनांक 26 दिसम्बर, 2002 है, को सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/899, श्योपुर, दिनांक 20 जनवरी, 2015 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण-पत्र के मुझे लिखित में कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दिशा में साहकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वधीन होंगे.

यदि निर्धारित अवधि में मय प्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा. संस्था की उपलब्ध लेखा पुस्तकों एवं उपलब्ध जानकारी में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये समझे जावेंगे.

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

(94-B)

### कार्यालय परिसमापक बाबा आम्टे श्रमिक सहकारी संस्था मर्या., श्योपुर, जिला श्योपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम-1962 के नियम-57 (सी/ग)के अन्तर्गत]

बाबा आम्टे श्रमिक सहकारी संस्था मर्या., श्योपुर, तहसील श्योपुर, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एस.पी.आर./10, दिनांक 26 दिसम्बर, 2002 है, को सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/899, श्योपुर, दिनांक 20 जनवरी, 2015 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण-पत्र के मुझे लिखित में कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दिशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वधीन होंगे।

यदि निर्धारित अवधि में मय प्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा। संस्था की उपलब्ध लेखा पुस्तकों एवं उपलब्ध जानकारी में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये समझे जावेंगे।

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई।

(94-C)

### कार्यालय परिसमापक मछुआ सहकारी संस्था मर्या., बड़ौदा, जिला श्योपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम-1962 के नियम-57 (सी/ग)के अन्तर्गत]

मछुआ सहकारी संस्था मर्या., बड़ौदा, तहसील श्योपुर, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./1034, दिनांक 31 मार्च, 1995 है, को सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/899, श्योपुर, दिनांक 20 जनवरी, 2015 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण-पत्र के मुझे लिखित में कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दिशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वधीन होंगे।

यदि निर्धारित अवधि में मय प्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा। संस्था की उपलब्ध लेखा पुस्तकों एवं उपलब्ध जानकारी में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये समझे जावेंगे।

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई।

के. आर. रेगर,  
परिसमापक.

(94-D)

### कार्यालय परिसमापक महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., मेवरा, जिला श्योपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम-1962 के नियम-57 (सी/ग)के अन्तर्गत]

महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., मेवरा, तहसील विजयपुर, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एस.पी.आर./7, दिनांक 27 अगस्त, 2001 है, को सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/899, श्योपुर, दिनांक 20 जनवरी, 2015 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण-पत्र के मुझे लिखित में कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दिशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वधीन होंगे।

यदि निर्धारित अवधि में मय प्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा। संस्था की उपलब्ध लेखा पुस्तकों एवं उपलब्ध जानकारी में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये समझे जावेंगे।

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई।

(95)

### कार्यालय परिसमापक बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दुबावली, जिला श्योपुर

[ मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम-1962 के नियम-57 (सी/ग)के अन्तर्गत ]

बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दुबावली, तहसील वीरपुर, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एस.पी.आर./115, दिनांक 02 फरवरी, 2010 है, को सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/899, श्योपुर, दिनांक 20 जनवरी, 2015 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण-पत्र के मुझे लिखित में कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दिशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वधीन होंगे.

यदि निर्धारित अवधि में मय प्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा. संस्था की उपलब्ध लेखा पुस्तकों एवं उपलब्ध जानकारी में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये समझे जावेंगे.

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

(95-A)

### कार्यालय परिसमापक माँ पीताम्बरा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., जाखेर, जिला श्योपुर

[ मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम-1962 के नियम-57 (सी/ग)के अन्तर्गत ]

माँ पीताम्बरा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., जाखेर, तहसील वीरपुर, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एस.पी.आर./43, दिनांक 23 जून, 2004 है, को सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/899, श्योपुर, दिनांक 20 जनवरी, 2015 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण-पत्र के मुझे लिखित में कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दिशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वधीन होंगे.

यदि निर्धारित अवधि में मय प्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा. संस्था की उपलब्ध लेखा पुस्तकों एवं उपलब्ध जानकारी में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये समझे जावेंगे.

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

(95-B)

### कार्यालय परिसमापक महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., काठोन, जिला श्योपुर

[ मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम-1962 के नियम-57 (सी/ग)के अन्तर्गत ]

महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., काठोन, तहसील विजयपुर, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एस.पी.आर./14, दिनांक 24 नवम्बर, 2001 है, को सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/899, श्योपुर, दिनांक 20 जनवरी, 2015 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण-पत्र के मुझे लिखित में कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दिशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वधीन होंगे.

यदि निर्धारित अवधि में मय प्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा. संस्था की उपलब्ध लेखा पुस्तकों एवं उपलब्ध जानकारी में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये समझे जावेंगे.

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

(95-C)

### कार्यालय परिसमापक कृषक विकास सहकारी संस्था मर्या., श्योपुर, जिला श्योपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम-1962 के नियम-57 (सी/ग)के अन्तर्गत]

कृषक विकास सहकारी संस्था मर्या., श्योपुर, तहसील श्योपुर, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एस.पी.आर./112, दिनांक 05 अप्रैल, 2010 है, को सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/899, श्योपुर, दिनांक 20 जनवरी, 2015 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण-पत्र के मुझे लिखित में कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दिशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वधिन होंगे।

यदि निर्धारित अवधि में मय प्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा। संस्था की उपलब्ध लेखा पुस्तकों एवं उपलब्ध जानकारी में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये समझे जावेंगे।

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई।

पवन अग्रवाल,  
परिसमापक.

(95-D)

### कार्यालय परिसमापक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कटीला, जिला श्योपुर

श्योपुर, दिनांक 27 जनवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम-1962 के नियम-57 (सी/ग)के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कटीला, तहसील कराहल, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./1023, दिनांक 31 मार्च, 1995 है, को सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/453, श्योपुर, दिनांक 05 जुलाई, 2013 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण-पत्र के मुझे लिखित में कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दिशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वधिन होंगे।

यदि निर्धारित अवधि में मय प्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा। संस्था की उपलब्ध लेखा पुस्तकों एवं उपलब्ध जानकारी में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये समझे जावेंगे।

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई।

(96)

### कार्यालय परिसमापक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिमरोनिया, जिला श्योपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम-1962 के नियम-57 (सी/ग)के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिमरोनिया, तहसील कराहल, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./732, दिनांक 11 मार्च, 1985 है, को सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/454, श्योपुर, दिनांक 05 जुलाई, 2013 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण-पत्र के मुझे लिखित में कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दिशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वधिन होंगे।

यदि निर्धारित अवधि में मय प्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा। संस्था की उपलब्ध लेखा पुस्तकों एवं उपलब्ध जानकारी में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये समझे जावेंगे।

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई।

(96-A)



### कार्यालय परिसमापक दुग्ध उत्पादक संस्था मर्या., पहेला, जिला श्योपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम-1962 के नियम-57 (सी/ग)के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक संस्था मर्या., पहेला, तहसील कराहल, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एस.पी.आर./129, दिनांक 01 अप्रैल, 2011 है, को सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/458, श्योपुर, दिनांक 05 जुलाई, 2013 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण-पत्र के मुझे लिखित में कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दिशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वधीन होंगे.

यदि निर्धारित अवधि में मय प्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा. संस्था की उपलब्ध लेखा पुस्तकों एवं उपलब्ध जानकारी में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये समझे जावेंगे.

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

(96-E)

### कार्यालय परिसमापक श्रमिक सहकारी संस्था मर्या., नयागांवतेखण्ड, जिला श्योपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम-1962 के नियम-57 (सी/ग)के अन्तर्गत]

श्रमिक सहकारी संस्था मर्या., नयागांवतेखण्ड, तहसील बड़ौदा, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एस.पी.आर./130, दिनांक 02 अप्रैल, 2011 है, को सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/899, श्योपुर, दिनांक 20 जनवरी, 2015 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण-पत्र के मुझे लिखित में कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दिशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वधीन होंगे.

यदि निर्धारित अवधि में मय प्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा. संस्था की उपलब्ध लेखा पुस्तकों एवं उपलब्ध जानकारी में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये समझे जावेंगे.

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

(96-F)

### कार्यालय परिसमापक श्रमिक सहकारी संस्था मर्या., बोरदादेव, जिला श्योपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम-1962 के नियम-57 (सी/ग)के अन्तर्गत]

श्रमिक सहकारी संस्था मर्या., बोरदादेव, तहसील बड़ौदा, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एस.पी.आर./136, दिनांक 30 अप्रैल, 2011 है, को सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/899, श्योपुर, दिनांक 20 जनवरी, 2015 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण-पत्र के मुझे लिखित में कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दिशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वधीन होंगे.

यदि निर्धारित अवधि में मय प्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा. संस्था की उपलब्ध लेखा पुस्तकों एवं उपलब्ध जानकारी में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये समझे जावेंगे.

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

(96-G)





### कार्यालय परिसमापक श्रमिक सहकारी संस्था मर्या., श्रीपुरा, जिला श्योपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम-1962 के नियम-57 (सी/ग)के अन्तर्गत]

श्रमिक सहकारी संस्था मर्या., श्रीपुरा, तहसील बड़ौदा, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एस.पी.आर./121, दिनांक 01 अप्रैल, 2011 है, को सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/899, श्योपुर, दिनांक 20 जनवरी, 2015 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण-पत्र के मुझे लिखित में कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दिशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वधीन होंगे.

यदि निर्धारित अवधि में मय प्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा. संस्था की उपलब्ध लेखा पुस्तकों एवं उपलब्ध जानकारी में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये समझे जावेंगे.

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

(96-K)

### कार्यालय परिसमापक श्रमिक सहकारी संस्था मर्या., लुहाड़, जिला श्योपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम-1962 के नियम-57 (सी/ग)के अन्तर्गत]

श्रमिक सहकारी संस्था मर्या., लुहाड़, तहसील बड़ौदा, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एस.पी.आर./120, दिनांक 30 मार्च, 2011 है, को सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/899, श्योपुर, दिनांक 20 जनवरी, 2015 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण-पत्र के मुझे लिखित में कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दिशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वधीन होंगे.

यदि निर्धारित अवधि में मय प्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा. संस्था की उपलब्ध लेखा पुस्तकों एवं उपलब्ध जानकारी में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये समझे जावेंगे.

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

(96-L)

### कार्यालय परिसमापक श्रमिक सहकारी संस्था मर्या., कुहांजापुर, जिला श्योपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम-1962 के नियम-57 (सी/ग)के अन्तर्गत]

श्रमिक सहकारी संस्था मर्या., कुहांजापुर, तहसील बड़ौदा, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एस.पी.आर./132, दिनांक 08 अप्रैल, 2011 है, को सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/899, श्योपुर, दिनांक 20 जनवरी, 2015 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण-पत्र के मुझे लिखित में कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दिशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वधीन होंगे.

यदि निर्धारित अवधि में मय प्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा. संस्था की उपलब्ध लेखा पुस्तकों एवं उपलब्ध जानकारी में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये समझे जावेंगे.

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

(96-M)

आर. एल. सगर,  
परिसमापक.

## कार्यालय परिसमापक, श्री लक्ष्मी क्रेडिट कॉ-आपरेटिव्ह सोसायटी लिमि. खरगोन

दिनांक 05 जनवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/क्यू.—श्री लक्ष्मी क्रेडिट कॉ. आपरेटिव्ह सोसायटी लिमि. खरगोन, तहसील खरगोन, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./ 87, दिनांक 09 नवम्बर, 2005 एवं संशोधित पंजीयन क्रमांक/1789, दिनांक 10 मार्च, 2014 है, को कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/1, दिनांक 01 जनवरी, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में किया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वांछित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा क्लेम मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

सूचना आज दिनांक 05 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(97)

## कार्यालय परिसमापक, श्रीनाथ साख सहकारिता मर्या., खरगोन

दिनांक 29 दिसम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/क्यू.—श्रीनाथ साख सहकारिता मर्या., खरगोन, तहसील खरगोन, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./ 02, दिनांक 07 जून, 2001 एवं संशोधित पंजीयन क्रमांक/1705, दिनांक 10 मार्च, 2014 है, को कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/1327, दिनांक 31 अक्टूबर, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में किया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वांछित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा क्लेम मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

सूचना आज दिनांक 05 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(97-A)

नवीन मुहावरे,  
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

## कार्यालय परिसमापक, जनसहयोग साख सहकारिता मर्या., खरगोन

दिनांक 29 दिसम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/क्यू.—जनसहयोग साख सहकारिता मर्या., खरगोन, तहसील खरगोन, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./ 63, दिनांक 28 फरवरी, 2005 एवं संशोधित पंजीयन क्रमांक/1765, दिनांक 10 मार्च, 2014 है, को कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/1365, दिनांक 11 नवम्बर, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में किया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से बांछित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा क्लेम मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था का लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

सूचना आज दिनांक 29 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(98)

आर. के. महाजन,  
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़

राजगढ़, दिनांक 06 सितम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/1100.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नांदनी, तहसील खिलचीपुर, जिला राजगढ़, को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक परि./13/661, राजगढ़, दिनांक 09 जुलाई, 2013 से जिसका पंजीयन क्रमांक 1132, दिनांक 27 जुलाई, 2009 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया।

परिसमापक द्वारा परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन संस्था का अंकेक्षण कराकर निरंक लेनदारी-देनदारी के साथ ऑडिट टीप प्रस्तुत करते हुए प्रस्तुत किया गया है, संस्था के परिसमापक के द्वारा की गयी कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, मुकेश कुमार जैन, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-6-99-15-2-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त कर संस्था का निकाय (बॉडी-कापोरिट) समाप्त करता हूँ।

उक्त आदेश आज दिनांक 06 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(99)

राजगढ़, दिनांक 06 सितम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/1101.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भण्डावद, तहसील जीरापुर, जिला राजगढ़, को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक परि./13/653, राजगढ़, दिनांक 09 जुलाई, 2013 से जिसका पंजीयन क्रमांक 938, दिनांक 16 जून, 2004 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया।

परिसमापक द्वारा परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन संस्था का अंकेक्षण कराकर निरंक लेनदारी-देनदारी के साथ ऑडिट टीप प्रस्तुत करते हुए प्रस्तुत किया गया है, संस्था के परिसमापक के द्वारा की गयी कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, मुकेश कुमार जैन, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-6-99-15-2-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त कर संस्था का निकाय (बॉडी-कापोरिट) समाप्त करता हूँ।

उक्त आदेश आज दिनांक 06 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(99-A)

राजगढ़, दिनांक 06 सितम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/1102.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चमारखेडा, तहसील जीरापुर, जिला राजगढ़, को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक परि./13/657, राजगढ़, दिनांक 09 जुलाई, 2013 से जिसका पंजीयन क्रमांक 890, दिनांक 22 सितम्बर, 2001 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया।

परिसमापक द्वारा परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन संस्था का अंकेक्षण कराकर निरंक लेनदारी-देनदारी के साथ ऑडिट टीप प्रस्तुत करते हुए प्रस्तुत किया गया है, संस्था के परिसमापक के द्वारा की गयी कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, मुकेश कुमार जैन, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-6-99-15-2-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त कर संस्था का निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

उक्त आदेश आज दिनांक 06 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(99-B)

राजगढ़, दिनांक 06 सितम्बर, 2014

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2014/1103.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिरपोई, तहसील जीरापुर, जिला राजगढ़, को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक परि./13/652, राजगढ़, दिनांक 09 जुलाई, 2013 से जिसका पंजीयन क्रमांक 1081, दिनांक 27 जून, 2008 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया।

परिसमापक द्वारा परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन संस्था का अंकेक्षण कराकर निरंक लेनदारी-देनदारी के साथ ऑडिट टीप प्रस्तुत करते हुए प्रस्तुत किया गया है, संस्था के परिसमापक के द्वारा की गयी कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, मुकेश कुमार जैन, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-6-99-15-2-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त कर संस्था का निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

उक्त आदेश आज दिनांक 06 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(99-C)

राजगढ़, दिनांक 06 सितम्बर, 2014

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2014/1104.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भगोरा, तहसील जीरापुर, जिला राजगढ़, को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक परि./13/656, राजगढ़, दिनांक 09 जुलाई, 2013 से जिसका पंजीयन क्रमांक 702, दिनांक 25 मई, 2011 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया।

परिसमापक द्वारा परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन संस्था का अंकेक्षण कराकर निरंक लेनदारी-देनदारी के साथ ऑडिट टीप प्रस्तुत करते हुए प्रस्तुत किया गया है, संस्था के परिसमापक के द्वारा की गयी कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, मुकेश कुमार जैन, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-6-99-15-2-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त कर संस्था का निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

उक्त आदेश आज दिनांक 06 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(99-D)

राजगढ़, दिनांक 06 सितम्बर, 2014

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2014/1105.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., घोघटपुर, तहसील जीरापुर, जिला राजगढ़, को इस कार्यालय के आदेश

क्रमांक परि./13/658, राजगढ़, दिनांक 09 जुलाई, 2013 से जिसका पंजीयन क्रमांक 664, दिनांक 28 दिसम्बर, 1989 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया।

परिसमापक द्वारा परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन संस्था का अंकेक्षण कराकर निरंक लेनदारी-देनदारी के साथ ऑडिट टीप प्रस्तुत करते हुए प्रस्तुत किया गया है, संस्था के परिसमापक के द्वारा की गयी कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, मुकेश कुमार जैन, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-6-99-15-2-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त कर संस्था का निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

उक्त आदेश आज दिनांक 06 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(99-E)

राजगढ़, दिनांक 26 दिसम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/1367.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., पीपल्दा, तहसील जीरापुर, जिला राजगढ़, को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक परि./2006/1002, राजगढ़, दिनांक 31 मई, 2006 से जिसका पंजीयन क्रमांक 879, दिनांक 09 जुलाई, 2003 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया।

परिसमापक द्वारा परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन संस्था का अंकेक्षण कराकर निरंक लेनदारी-देनदारी के साथ ऑडिट टीप प्रस्तुत करते हुए प्रस्तुत किया गया है, संस्था के परिसमापक के द्वारा की गयी कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, मुकेश कुमार जैन, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-6-99-15-2-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त कर संस्था का निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

उक्त आदेश आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(99-F)

राजगढ़, दिनांक 20 जनवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., लक्ष्मणपुरा, तहसील जीरापुर, जिला राजगढ़, को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक परि./2006/1002, राजगढ़, दिनांक 31 मई, 2006 से जिसका पंजीयन क्रमांक 877, दिनांक 09 जुलाई, 2003 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया।

परिसमापक द्वारा परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन संस्था का अंकेक्षण कराकर निरंक लेनदारी-देनदारी के साथ ऑडिट टीप प्रस्तुत करते हुए प्रस्तुत किया गया है, संस्था के परिसमापक के द्वारा की गयी कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, मुकेश कुमार जैन, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-6-99-15-2-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त कर संस्था का निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

उक्त आदेश आज दिनांक 20 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(99-G)

राजगढ़, दिनांक 20 जनवरी, 2015

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत ]

महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., गोलाखेडा, तहसील व जिला राजगढ़, को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक परि./2006/983, राजगढ़, दिनांक 31 मई, 2006 से जिसका पंजीयन क्रमांक 725, दिनांक 13 फरवरी, 2002 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया।

परिसमापक द्वारा परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन संस्था का अंकेक्षण कराकर निरंक लेनदारी-देनदारी के साथ ऑडिट टीप प्रस्तुत करते हुए प्रस्तुत किया गया है, संस्था के परिसमापक के द्वारा की गयी कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, मुकेश कुमार जैन, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-6-99-15-2-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त कर संस्था का निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

उक्त आदेश आज दिनांक 20 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(99-H)

राजगढ़, दिनांक 20 जनवरी, 2015

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत ]

महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., पाडलीखाती, तहसील व जिला राजगढ़, को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक परि./2006/997, राजगढ़, दिनांक 31 मई, 2006 से जिसका पंजीयन क्रमांक 867, दिनांक 06 जून, 2003 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया।

परिसमापक द्वारा परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन संस्था का अंकेक्षण कराकर निरंक लेनदारी-देनदारी के साथ ऑडिट टीप प्रस्तुत करते हुए प्रस्तुत किया गया है, संस्था के परिसमापक के द्वारा की गयी कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, मुकेश कुमार जैन, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-6-99-15-2-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त कर संस्था का निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

उक्त आदेश आज दिनांक 20 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

मुकेश कुमार जैन,

उप-पंजीयक.

(99-I)

### कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, डिण्डोरी

डिण्डोरी, दिनांक 24 जनवरी, 2015

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 क (1) के अन्तर्गत ]

क्र./सपंडि/पंजी/2015/49. — अन्नपूर्णा साग-सब्जी, फल-फूल उत्पादन एवं विपणन सहकारी समिति मर्या., रमपुरी, पंजीयन क्रमांक 06, दिनांक 13 सितम्बर, 2001 विकासखण्ड एवं जिला डिण्डोरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./400, दिनांक 17 जून, 2014 द्वारा श्री के. एस. मरावी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

अतः मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, डिण्डोरी एतद्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अन्नपूर्णा साग-सब्जी, फल-फूल उत्पादन एवं विपणन सहकारी समिति मर्या., रमपुरी का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 24 जनवरी, 2015 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 24 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(102)

डिण्डोरी, दिनांक 24 जनवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा- 18 क (1) के अन्तर्गत]

क्र./सपंडि/पंजी/2015/50.—साई साग-सब्जी, फल-फूल उत्पादन एवं विपणन सहकारी समिति मर्या., नेवसा पोंड़ी, पंजीयन क्रमांक 08, दिनांक 13 सितम्बर, 2001 विकासखण्ड एवं जिला डिण्डोरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./401, दिनांक 17 जून, 2014 द्वारा श्री के. एस. मरावी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकैक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

अतः मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, डिण्डोरी एतद्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए साई साग-सब्जी, फल-फूल उत्पादन एवं विपणन सहकारी समिति मर्या., नेवसा पोंड़ी का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 24 जनवरी, 2015 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 24 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

डी. के. त्रिपाठी,  
सहायक पंजीयक.

(102-A)

### कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1861/मण्डला, दिनांक 18 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, मानिकसरा, विकासखण्ड बीजाडांडी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्टित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, मानिकसरा, पंजीयन क्रमांक 1337, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. डी. कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बीजाडांडी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(103)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1862/मण्डला, दिनांक 18 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, डुगरिया, विकासखण्ड बीजाडांडी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्टित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, डुगरिया, पंजीयन क्रमांक 1338, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. डी. कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बीजाडांडी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(103-A)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपंम/परि./2014/1863/मण्डला, दिनांक 18 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बरगांव, विकासखण्ड बीजाडांडी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्टित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बरगांव, पंजीयन क्रमांक 1339, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. डी. कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बीजाडांडी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(103-B)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपंम/परि./2014/1864/मण्डला, दिनांक 18 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सांगवा, विकासखण्ड बीजाडांडी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्टित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सांगवा, पंजीयन क्रमांक 1340, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. डी. कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बीजाडांडी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(103-C)



कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपंम/परि./2014/1865/मण्डला, दिनांक 18 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, चरगांवमाल, विकासखण्ड बीजाडांडी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयवाधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा समयवाधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्टित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, चरगांवमाल, पंजीयन क्रमांक 1341, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. डी. कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बीजाडांडी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(103-D)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपंम/परि./2014/1866/मण्डला, दिनांक 18 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, कालपी, विकासखण्ड बीजाडांडी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयवाधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा समयवाधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्टित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, कालपी, पंजीयन क्रमांक 1342, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. डी. कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बीजाडांडी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(103-E)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपंम/परि./2014/1867/मण्डला, दिनांक 18 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, भौडी, विकासखण्ड बीजाडांडी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयवाधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा समयवाधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्टित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, भौडी, पंजीयन क्रमांक 1343, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के

निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. डी. कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बीजाडांडी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(103-F)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपंम/परि./2014/1868/मण्डला, दिनांक 18 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, पौडीमाल, विकासखण्ड बीजाडांडी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था। इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया।

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्टित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, पौडीमाल, पंजीयन क्रमांक 1344, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. डी. कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बीजाडांडी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(103-G)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपंम/परि./2014/1869/मण्डला, दिनांक 18 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, भैसवाही, विकासखण्ड बीजाडांडी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था। इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया।

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्टित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, भैसवाही, पंजीयन क्रमांक 1345, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. डी. कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बीजाडांडी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(103-H)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपंम/परि./2014/1870/मण्डला, दिनांक 18 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, पोनियामाल, विकासखण्ड बीजाडांडी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था। इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया।

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्टित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, पोनियामाल, पंजीयन क्रमांक 1346, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. डी. कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बीजाडांडी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(103-I)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1871/मण्डला, दिनांक 18 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, लहसर, विकासखण्ड बीजाडांडी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था। इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया।

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्टित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, लहसर, पंजीयन क्रमांक 1347, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. डी. कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बीजाडांडी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(103-J)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1872/मण्डला, दिनांक 18 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, चरगांवकला, विकासखण्ड बीजाडांडी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था। इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया।

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्टित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, चरगांवकला, पंजीयन क्रमांक 1348, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. डी. कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बीजाडांडी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(103-K)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1873/मण्डला, दिनांक 18 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, विलनगरी, विकासखण्ड बीजाडांडी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्टित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, विलनगरी, पंजीयन क्रमांक 1349, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. डी. कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बीजाडांडी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(103-L)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1874/मण्डला, दिनांक 18 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, खेमरखेडा, विकासखण्ड बीजाडांडी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्टित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, खेमरखेडा, पंजीयन क्रमांक 1350, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. डी. कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बीजाडांडी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(103-M)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1875/मण्डला, दिनांक 18 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बारंगदा, विकासखण्ड बीजाडांडी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्टित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बारंगदा पंजीयन क्रमांक 1351, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के

निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. डी. कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बीजाडांडी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(103-N)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1876/मण्डला, दिनांक 18 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, ढुढुवा, विकासखण्ड बीजाडांडी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्टित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, ढुढुवा, पंजीयन क्रमांक 1352, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. डी. कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बीजाडांडी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(103-O)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1877/मण्डला, दिनांक 18 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, उदयपुर, विकासखण्ड बीजाडांडी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्टित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, उदयपुर, पंजीयन क्रमांक 1353, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. डी. कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बीजाडांडी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(103-P)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1878/मण्डला, दिनांक 18 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, समनापुर, विकासखण्ड बीजाडांडी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्टित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, समनापुर, पंजीयन क्रमांक 1354, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. डी. कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बीजाडांडी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(103-Q)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1879/मण्डला, दिनांक 18 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, पिपरिया, विकासखण्ड बीजाडांडी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्टित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, पिपरिया, पंजीयन क्रमांक 1355, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. डी. कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बीजाडांडी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(103-R)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1880/मण्डला, दिनांक 18 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, जमुनिया, विकासखण्ड बीजाडांडी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्टित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, जमुनिया, पंजीयन क्रमांक 1356, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. डी. कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बीजाडांडी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

के. सी. अग्रवाल,  
सहायक रजिस्ट्रार.

(103-S)



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 08 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 फरवरी 2015-फाल्गुन 1, शके 1936

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

#### कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 22 अक्टूबर, 2014

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के छतरपुर, सागर, भोपाल, रायसेन, बैतूल, जबलपुर, छिन्दवाड़ा, बालाघाट को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.—

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील नौगांव, छतरपुर (छतरपुर), खुरई, बण्डा, सागर, केसली (सागर), हुजूर (भोपाल), रायसेन (रायसेन), मुल्ताई, आठनेर (बैतूल), मझौली (जबलपुर), छिन्दवाड़ा, बिछुआ, मोहखेड़ा (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील बैरसिया (भोपाल), गैरतगंज (रायसेन), लांजी, वारासिवनी, कटंगी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील बालाघाट (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.—तहसील बैहर (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**—जिला श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, छतरपुर, सागर, अनूपपुर, सीधी, मंदसौर, झाबुआ, बैतूल, हरदा, कटनी, डिण्डोरी, सिवनी में रबी फसलों की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला डिण्डोरी में फसल राई व सागर में चना, अलसी व सीधी में मक्का, उड़द, मूँग, तिल, धान व श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, दमोह, अनूपपुर, मंदसौर, झाबुआ, खरगौन, भोपाल, कटनी व सिवनी में रबी फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**—

5. **कटाई.**—जिला धार, बुरहानपुर में फसल सोयाबीन, होशंगाबाद, डिण्डोरी में धान व आगर में सोयाबीन, मक्का, उड़द व सिवनी में धान, मक्का, सोयाबीन व दतिया में धान, उड़द, बाजरा, मूँगफली, इन्दौर, सीहोर, बैतूल, कटनी, छिन्दवाड़ा में खरीफ फसलों की कटाई एवं खुदाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, दतिया, गुना, टीकमगढ़, सागर, दमोह, उमरिया, विदिशा, भोपाल, नरसिंहपुर में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं उपलब्ध है.

7. पशुओं की स्थिति.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.
8. चारा.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
9. बीज.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
10. खेतिहर श्रमिक.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.



## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 22 अक्टूबर, 2014

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
<b>जिला मुरैना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह .. 2. पोरसा .. 3. मुरैना .. 4. जौरा .. 5. सबलगढ़ .. 6. कैलारस ..					
<b>जिला श्योपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, तिल, तुअर, सोयाबीन, उड़द, मूँग समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर .. 2. कराहल .. 3. विजयपुर ..					
<b>*जिला भिण्ड :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. अटेर .. 2. भिण्ड .. 3. गोहद .. 4. मेहगांव .. 5. लहार .. 6. मिहोना .. 7. रौन ..					
<b>जिला ग्वालियर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, उड़द, मूँगमोठ, तुअर, मूँगफली अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर .. 2. डबरा .. 3. भितरवार .. 4. घाटीगांव ..					
<b>जिला दतिया :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व धान, उड़द, बाजरा, मूँगफली की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, उड़द, तिल, मूँगफली, सोयाबीन समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा .. 2. दतिया .. 3. भाण्डेर ..					
<b>जिला शिवपुरी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गन्ना, सोयाबीन अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी .. 2. पिछोर .. 3. खनियाधाना .. 4. नरवर .. 5. करैरा .. 6. कोलारस .. 7. पोहरी .. 8. बदरवास ..					

1	2	3	4	5	6
<b>जिला अशोकनगर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. मुँगावली	..		4. (1) उड़द अधिक. सोयाबीन, गन्ना कम. मक्का समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	..		(2) ..		
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. शाढौरा	..				
<b>जिला गुना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. राधोगढ़	..		(2) ..		
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
<b>जिला टीकमगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..		4. (1) धान, ज्वार, मूँगफली, सोयाबीन, गन्ना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
7. ओरछा	..				
<b>जिला छतरपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. लवकुशनगर	..		4. (1) तुअर अधिक. ज्वार, तिल कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	..		(2) ..		
3. नौगांव	4.0				
4. छतरपुर	2.0				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ामलहरा	..				
8. बकस्वाहा	..				
<b>जिला पन्ना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. अजयगढ़	..		4. (1) मूँग अधिक. धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, सोयाबीन, तिल कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	..		(2) ..		
3. गुन्नौर	..				
4. पवई	..				
5. शाहनगर	..				
<b>जिला सागर :</b>	मिलीमीटर	2. रबी मौसम की जुताई एवं चना, अलसी की बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	..		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों-कुटकी, उड़द, मूँग, अरहर, तिल मूँगफली, सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	2.3		(2) ..		
3. बण्डा	2.0				
4. सागर	2.6				
5. रेहली	..				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	12.0				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला दमोह :</b>	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) ज्वार, सोयाबीन, तुअर, धान समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	..				
2. बटियागढ़	..				
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
<b>जिला सतना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, मूँग, उड़द, मक्का, तुअर अधिक. सोयाबीन, कोदों-कुटकी. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	..				
2. मझगवां	..				
3. रामपुर-बघेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
9. बिरसिहपुर	..				
<b>जिला रीवा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) ज्वार अधिक. धान, सोयाबीन कम. मूँग, उड़द, अरहर तिल समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	..				
2. सिरमौर	..				
3. मऊगंज	..				
4. हनुमना	..				
5. हजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. गयपुरकर्जुलियान	..				
<b>*जिला शहडोल :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. सोहागपुर	..				
2. ब्यौहारी	..				
3. जैसिहनगर	..				
4. जैतपुर	..				
<b>जिला अनूपपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, राहर, कोदों-कुटकी कम. रामतिल समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	..				
2. अनूपपुर	..				
3. कोतमा	..				
4. पुष्पराजगढ़	..				
<b>जिला उमरिया :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, मक्का, उड़द, अरहर अधिक. सोयाबीन, राई-सरसों, अलसी कम. कोदों-कुटकी, तिल समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	..				
2. पाली	..				
3. मानपुर	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला सीधी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व मक्का, उड़द, मूँग, तिल, धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) राई-सरसों, अलसी, चना, मसूर, मटर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	..				
2. सिंहावल	..				
3. मझौली	..				
4. कुसमी	..				
5. चुरहट	..				
6. रामपुरनैकिन	..				
<b>*जिला सिंगरौली :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. चितरंगी	..				
2. देवसर	..				
3. सिंगरौली	..				
<b>जिला मन्दासौर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) सोयाबीन, मक्का अधिक. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	..				
2. भानपुरा	..				
3. मल्हारगढ़	..				
4. गरोठ	..				
5. मन्दासौर	..				
6. श्यामगढ़	..				
7. सीतामऊ	..				
8. धुन्धड़का	..				
9. संजीत	..				
10. कयामपुर	..				
<b>जिला नीमच :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन, मक्का, उड़द अधिक. तिल, मूँगफली कम. तुअर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावद	..				
2. नीमच	..				
3. मनासा	..				
<b>जिला रतलाम :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावरा	..				
2. आलोट	..				
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलौदा	..				
6. रतलाम	..				
<b>जिला उज्जैन :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन, मक्का समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खाचरौद	..				
2. महिदपुर	..				
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
<b>जिला आगर :</b>	मिलीमीटर	2. सोयाबीन, मक्का, उड़द की कटाई का कार्य चालू हैं.	3. .. 4. (1) सोयाबीन, मक्का समान. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बड़ौद	..				
2. सुसनेर	..				
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
<b>जिला शाजापुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	..				
2. शाजापुर	..				
3. शुजालपुर	..				
4. कालापीपल	..				
5. गुलाना	..				

1	2	3	4	5	6
<b>*जिला देवास :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. सोनकच्छ	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. टोंकखुर्द	..		(2) ..		
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
<b>जिला झाबुआ :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	..		4. (1) मक्का, उड़द कम. धान, सोयाबीन, तुअर, कपास समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	..		(2) ..		
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
<b>जिला अलीराजपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. जोवट	..		4. (1) मक्का, ज्वार, बाजरा, धान, उड़द, मूँग, सोयाबीन, कपास.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	..		(2) ..		
3. कट्टीवाड़ा	..				
4. सोण्डवा	..				
5. भामरा	..				
<b>जिला धार :</b>	मिलीमीटर	2. सोयाबीन फसल की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. बदनावर	..		4. (1) मक्का, कपास, मूँगफली अधिक. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	..		(2) ..		
3. धार	..				
4. कुक्षी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
<b>जिला इन्दौर :</b>	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	..		(2) ..		
3. इन्दौर	..				
4. महु	..				
(डॉ. अम्बेडकरनगर)					
<b>जिला खरगौन :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..		4. (1) मक्का, बाजरा, कपास, मूँगफली अधिक. ज्वार, धान, तुअर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	..		(2) ..		
3. सेगांव	..				
4. खरगौन	..				
5. गोगावां	..				
6. कसरावद	..				
7. भगवानपुरा	..				
8. भीकनगांव	..				
9. झिरन्या	..				

1	2	3	4	5	6
<b>*जिला बड़वानी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बड़वानी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. ठीकरी	..		(2) ..		
3. राजपुर	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
<b>जिला खण्डवा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..		4. (1) गेहूँ, चना, समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	..				
<b>जिला बुरहानपुर :</b>	मिलीमीटर	2. सोयाबीन की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..		4. (1) कपास, मूँगफली समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	..				
<b>*जिला राजगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जीरापुर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. खिलचीपुर	..		(2) ..		
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
<b>जिला विदिशा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	..		4. (1) धान अधिक. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	..				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. ग्यारसपुर	..				
<b>जिला भोपाल :</b>	मिलीमीटर	2. रबी फसल की बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	20.03		4. (1) सोयाबीन, धान, मक्का, तुअर, मूँग, मूँगफली, ज्वार, उड़द समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	8.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
<b>जिला सीहोर :</b>	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. ..
1. सीहोर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	..		(2) ..		
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला रायसेन :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	1.4		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों-कुटकी, अरहर, मूँग, उड़द, सोयाबीन, मूँगफली, तिल, गन्ना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	21.6		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बेगमगंज	..				
4. गौहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. उदयपुरा	..				
<b>जिला बैतूल :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई व खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	..		4. (1) सोयाबीन, मक्का कम. धान समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	..		(2) ..		
3. शाहपुर	..				
4. चिचोली	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	12.0				
7. आठनेर	15.5				
8. आमला	..				
<b>जिला होशंगाबाद :</b>	मिलीमीटर	2. धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..		4. (1) धान, मूँगमोठ, उड़द, तुअर अधिक. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	..		(2) ..		
3. बावई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. वनखेड़ी	..				
8. पचमढी	..				
<b>जिला हरदा :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	..		4. (1) सोयाबीन सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	..		(2) उपरोक्त फसल सुधरी हुई.		
3. टिमरनी	..				
<b>जिला जबलपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. सीहोरा	..		4. (1) धान, मूँग, उड़द, सोयाबीन, तिल, तुअर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	..		(2) ..		
3. जबलपुर	..				
4. मझौली	11.0				
5. कुण्डम	..				
<b>जिला कटनी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रबी की बोनी व खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	..		4. (1) धान, तिल, कोदों, राहर, उड़द, मूँग समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. विजयराघवगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला नरसिंहपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, धान, मक्का, उड़द, गन्ना अधिक. सोयाबीन कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गाडरवारा 2. करेली 3. नरसिंहपुर 4. गोटेगांव 5. तेन्दूखेड़ा	.. .. .. .. ..				
<b>जिला मण्डला :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) धान, मक्का, तुअर, तिल, उड़द, कोदों-कुटकी, सन सुधरी हुई. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवास 2. बिछिया 3. नैनपुर 4. मण्डला 5. घुघरी 6. नारायणगंज	.. .. .. .. .. ..				
<b>जिला डिण्डोरी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं राई फसल की बोनी व धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) मक्का, धान, सोयाबीन, तुअर, कोदों-कुटकी समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी 2. बजाग 3. शाहपुरा	.. .. ..				
<b>जिला छिन्दवाड़ा :</b>	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, सोयाबीन समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा 2. जुन्नारदेव 3. परासिया 4. जामई (तामिया) 5. सोंसर 6. पांढुर्णा 7. अमरवाड़ा 8. चौरई 9. बिछुआ 10. हरई 11. मोहखेड़ा	5.6 .. .. .. .. .. .. .. 4.0 .. .. 1.0				
<b>जिला सिवनी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व धान, मक्का, सोयाबीन की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, मूँगफली अधिक. ज्वार, कोदों-कुटकी, सोयाबीन, सन कम. तिल समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी 2. केवलारी 3. लखनादौन 4. बरघाट 5. कुरई 6. घंसौर 7. घनोरा 8. छपारा	.. .. .. .. .. .. .. ..				
<b>जिला बालाघाट :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. ..	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट 2. लाँजी 3. बैहर 4. वारासिवनी 5. कटंगी 6. किरनापुर	47.0 22.1 100.0 30.3 27.5 ..				

टीप.— \*जिला भिण्ड, शहडोल, सिंगरौली, देवास, बड़वानी, राजगढ़ से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.